आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर

आई.सी.डी.एस. पुनरीक्षण वाद संख्या –37 / 2021

सबिता कुमारी

बनाम

राज्य सरकार व अन्य

आदेश

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
13.03.2023	यह पुनरीक्षण / अपीलवाद जिला दण्डाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में दायर विविध वाद सं0–13 / 2017 में दिनांक 03.09.2019 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सविस्तार सुना। सुनवाई के दौरान आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि आवेदिका का चयन आंगनबाड़ी सेविका / सहायिका नियुक्ति मार्गदर्शिका 2011 से हुआ है। प्रश्नगत मामले की सुनवाई जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं अपील समाहर्त्ता के समक्ष किया जा चुका है। अब इस न्यायालय में आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण / अपीलवाद दायर किया है। अधिकारिता के बिन्दु पर आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता ने विभागीय पत्रांक–4608 दिनांक–22.09.2020 का जिक्र किया है। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रस्तुत वाद 2011 के मार्गदर्शिका से आच्छादित है जिसमें जिला पदाधिकारी के बाद पुनरीक्षण सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। आवेदिका को उनके विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को सुनने, वाद अभिलेख एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख में पोषित कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट	

WEB COPY NOT OFFICIAL

होता है कि प्रश्नगत मामला सेविका/सहायिका चयन मार्गदर्शिका 2011 से संबंधित है, जिसमें विभागीय पत्रांक 2354 दिनांक 17.05.2013 को संशोधन होकर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को सुनवाई एवं प्रमंडलीय उप निदेशक कल्याण अथवा प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्त्ता से अन्युन स्तर के पदाधिकारी को अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि समेकित बाल विकास सेवाएं (आई0सी0डी0एस0) निदेशालय, बिहार पटना के पत्रांक 1780 दिनांक 05.03.2020 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि ***"जिस समय चयन हेतु विज्ञापन का प्रकाशन हुआ था और उस समय जो मार्गदर्शिका प्रभावी थी, उसी मार्गदर्शिका के प्रावधान उन मामलो में लागु होंगे तथा उनके चयन से संबंधित विवाद का निष्पादन भी उसी तत्कालीन प्रभावी मार्गदर्शिका के प्रावधान के अनुरूप ही किया जाएगा।"*** उक्त मार्गदर्शिका में पुनरीक्षण को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। जहॉ तक आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का विभागीय पत्रांक–4608 दिनांक–22.09.2020 के संबंध में दावे का प्रश्न है तो इस संबंध में उसी पत्र में अंकित है कि उक्त के संबंध में ***स्पष्ट निदेश निदेशालय के पत्रांक–1780 दिनांक–05.03.2020 द्वारा दिया जा चुका है।*** जिस आधार पर प्रश्नगत वाद को इस न्यायालय में सुनने की अधिकारिता नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले की सुनवाई जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा किया गया है एवं अपील जिलाधिकारी द्वारा सुना गया है फिर पुनः इस न्यायालय में अपील वाद दायर किया गया। अर्थात एक ही वाद में दो जगह अपील सुनना भी विधि के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को इस न्यायालय में पोषणीय नहीं पाते हुए पोषणीयता के बिंदु पर अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त **आयुक्त**

WEB COPY NOT OFFICIAL

WEB COPY NOT OFFICIAL